BY SPEED POST

सत्यमेव जयते

Government of India
National Commission for Scheduled Tribes

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. SB/1/2017/STGDH/ATRAPE/RU-I

Date: 12/05/2017

To

1. The Commissioner of Police,
Delhi Police,
Police Headquarters,
I.P. Estate,
New Delhi.

2. Shri Vijay Kumar,
Deputy Commissioner of Police,
West District, Rajouri Garden,
Delhi – 110027.

Sub: Sexual assault on Ms. Sukhvaro Barla alias Kajal Barla, R/o Village-Narsingh Pur, Post - Rendwa, Thana-Kaamdara, District - Gumla, Jharkhand at her working place in Rajouri Garden, New Delhi on 03/03/2017 – reg.

Sir,

I am directed to enclose a copy of the Proceedings of Sitting held in the National Commission for Scheduled Tribes on 10/04/2017 on the above mentioned subject for immediate necessary action. Action Taken Report in this regard may be submitted to the Commission **within 10 days** positively.

Encl: As above.

Yours faithfully,

(Rajeshwar Kumar)
Assistant Director

Copy to:

Ms. Sukhvaro Barla alias Kajal Barla,
R/o Village-Narsingh Pur,
Post - Rendwa, Thana-Kaamdara,
District - Gumla,
Jharkhand.

Copy for information to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. SSA NIC (for hosting on Commission's website)

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

फाईल न. SB/1/2017/STGDH/ATPHHR/RU-I

सुश्री सुखवारो बरला उर्फ काजल बरला निवासी सी–42 ए, डीडीए फ्लैट, ग्राउंड फ्लोर, शिवाजी एनक्लेव, राजौरीगार्डन, नई दिल्ली का बलात्कार एवं जान से मारने के संबंध में अभ्यावेदन दिनांक 03.03.2017 के संबंध में दिनांक 10.04.2017 को अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष हुई बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 03.03.2017 को सुश्री सुखवारो बरला उर्फ काजल बरला ने आयोग में यह शिकायत की कि वह अजित गुलाटी एवं श्वेता गुलाटी, डब्ल्यु – 26, राजौरी गार्डन, द्वितीय तल, नई दिल्ली के यहां घरेलू नौकरानी का काम करती थी। दिनांक 11.08.2016 को अजित गुलाटी ने उसके साथ बलात्कार किया और दोनों पति पत्नी ने मिलकर उसके साथ मारपीठ की और जान से मारने की कोशिश की और अपनी छत से धक्का मार कर उसे नीचे गिरा दिया।

आयोग ने उक्त मामलें में आवश्यक कार्रवाही करते हुए दिनांक 08.03.2017 को पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस, नई दिल्ली, पुलिस अधीक्षक, जिला – गुमला, झारखण्ड और उपायुक्त, जिला – गुमला, झारखण्ड को नाटिस भेजा।

मामलें कि गंभीरता को देखते हुए आयोग ने उपायुक्त, राजौरी गार्डन, दिल्ली पुलिस तथा पीड़िता और उसके संबंधियों के साथ दिनांक 28.03.2017 को बैठक आयोजित की जो निम्न अनुसार हैः–

1. श्रीमती पुनीया बखला, मकान नं0 90बी, लाल क्वार्टर, पंजाबी बाग, नई दिल्ली ने आयोग को जानकारी दी कि जब वे पीड़िता (सुखबारो बरला) से मिलने गए तो वह कुछ बोल नहीं पा रही थी फिर हम 4–5 दिन बाद दुबारा गए तब हमने पीड़िता से पूछा तो बोली कि दीदी हमने नीचे नहीं कूदा और बताने लगी कि दिनांक 11.08.2016 को मालिक

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

(श्री गुलाटी) ने मुह पर दुपट्टा बांधकर उनके साथ गलत किया उसी समय मालकिन ने भी आकर उनके साथ पिटाई की और दोनों ने मिलकर छत से नीचे फेंक दिए। पीड़िता के ठीक होने के बाद इस संबंध में हमने दिनांक 10.11.2016 को डीसीपी, पश्चिमी दिल्ली पुलिस, राजौरी गार्डन थाना में एफ आई आर भी दर्ज कराने गए परन्तु पुलिस दिनांक 11.11.2016 को बहुत मुश्किल से एफ आई आर दर्ज किया।

2. श्रीमती अनीता पत्नी श्री जगारियस बारला, गांव–नरसिंहपुर, पोस्ट–रेंडवा, थाना–कामडारा, जिला–गुमला (झारखंड) ने अर्थात पीड़िता की मां ने जानकारी दिया कि हॉस्पिटल से घरलाने के बाद हमें फोन पर बताई कि मालिक और मालकिन मिलकर हमें छत से नीचे फेक दिए और मैं घूम फिर भी नहीं पा रहीं हूं।

3. श्री अमृत टोप्पो, सी–42ए, डीडीए फ्लैट, शिवाजी एनक्लेव, नई दिल्ली ने आयोग को बैठक में बताया कि डीडीए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद हम पीड़िता के घर मिलने गए तो हमें पता चला कि वह अभी ठीक नहीं है फिर हमने श्री आनन्द जी से संपर्क किया। श्री आनन्दजी ने हमें श्री पप्पू यादव से मिलवाये उसके बाद श्री विजय जी के माध्यम से हमने पीड़िता को एम्स में भर्ती किया। सिटी स्कैन एवं अन्य इलाज होने के बाद उसकी आवाज थोड़ा खुलने लगी। फिर उसने अपने साथ हुई घटना के बारे बताई। तब हमने इसके बारे में श्री आनन्द साहू के साथ सम्पर्क करके डीसीपी को पत्र लिखा उसके बाद बहुत मुश्किल से एफ आई आर दर्ज हुआ। एफ आई आर के बाद भी पुलिस पीड़िता के चाचा–चाची (श्री विमल और श्रीमती विनीता) को परेशान करके केश वापस लेने के लिए दबाव डाल रहे थे।

4. इस संबंध में आयोग के संयुक्त सचिव, महोदय ने पूछा कि घटना 11.08.2016 को घटित हुई तो एफ आई आर दर्ज करने में इतना समय क्यों लग गया तो पीड़ितापक्ष की ओर से बताया कि घटना के बाद पीड़िता (सुखवारो बरला उर्फ काजल बरला) बोलने–चलने की स्थिति में नही थी। इस घटना से उसे भारी सदमा लगा था।

5. आयोग के अध्यक्ष महोदय ने बैठक में पुलिस उपायुक्त, पश्चिमी दिल्ली पुलिस, नई दिल्ली से एफ आई आर दर्ज करने और जांच करने में देरी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पीड़िता सुखवारो बारला का घटना के बाद बातचीत कर पाना मुश्किल था

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

जिससे एफ आई आर दिनांक 11.11.2016 को दर्ज किया गया जिसमें आरोपी श्री अजित गुलाटी और उसकी पत्नी श्रीमती स्वेता गुलाटी के खिलाफ आईपीसी की धारा 325/376, 6 पोक्सो एक्ट और 75 JJ Act लगाया गया।

6. अध्यक्ष महोदय ने पुलिस उपायुक्त से यह भी पूछा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम क्यों नहीं लगाया गया तो उन्होंने बताया कि मामला जूडिसयल कस्टडी (Judicial custody) में होने के कारण पीड़िता की ओर से अनुसूचित जन जाति प्रमाणपत्र संलग्न करने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनज़ाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जोड़ा ज़ाएगा। साथ ही उपायुक्त गुमला से पीड़िता की जाति संबंधी रिपोर्ट भी मंगायी जाए।

7. आयोग सिफारिश करता है कि अपराधियों पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की सुसंगत धाराएं लगायी जाए तथा साथ ही पीड़िता को आवश्यक राहत भी प्रदान की जाए। इस मामलें में की गयी कार्यवाही से आयोग को यथाशीघ्र अवगत कराया जाए।

8. बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थेः–

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. श्री नंद कुमार साय, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
2. श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
3. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
4. श्री पी. एल. बैरवा, सहायक अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।

दिल्ली पुलिस

1. श्री विजय कुमार, उपायुक्त, पश्चिमी दिल्ली पुलिस, राजौरी गार्डन, दिल्ली।

अभ्यावेदक

1. पीड़िता, सुखवारो बरला उर्फ काजल बरला और अन्य संबंधी।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi